न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला जिला शाहपुरा (राज.)

प्रकरण संख्या – 68 / 2024 पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1 जाकिर हुसैन पिता बाबूदीन मुसलमान उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
2 मुमताज बानू पुत्री बाबूदीन मुसलमान उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
3 मोहम्मद शरीफ पिता बाबूदीन मुसलमान उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
4 शरीफन बानू पुत्री बाबूदीन मुसलमान उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
5 सहनाज बानू पुत्री बाबूदीन मुसलमान उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा

------(प्रार्थीगण)

बनाम

1 श्रीमति सायरी पत्नी बालूराम कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
2 नाथुलाल पिता चांद मोहम्मद पिनारा उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
3 शायरी बानू पत्नि चांद मोहम्मद पिनारा उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
4 सलीम पिता चांद मोहम्मद पिनारा उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
5 निजाम पिता शाहबूददीन पिनारा उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
6 सद्दीक पिता शाहबूददीन पिनारा उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
7 मांगी पुत्री शाहबूददीन पिनारा उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
8 शहनाज पुत्री शाहबूददीन पिनारा उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
9 सायरी पत्नी शाहबूददीन पिनारा उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
10 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकला जिला शाहपुरा

-------(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता---- श्री विजय पाराशर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक – 15.05.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 29.04.2024 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम कोठिया पटवार मण्डल कोठिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 364 के आ.न. 236, 242, 243, 244, 245, 246, 255 किता 7 रकबा 1.45 हैक्टयर भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 29.04.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कोठिया पटवार मण्डल कोठिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 364 के आ.न. 236, 242, 243, 244, 245, 246, 255 किता 7 रकबा 1.45 हैक्टयर भूमि की पत्थरगढी बरामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खडी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकंला, जिला शाहपुरा